<u>न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (भारतीय विद्युत अधिनियम 2003) गोहद</u> <u>जिला भिण्ड, (म०प्र0)</u>

(समक्ष - सतीश कुमार गुप्ता)

विशेष विद्युत प्रकरण क0 91/12 संस्थापन दिनांक-20-07-2012

ALIMANA PAROTA

म०प्र0 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, द्वारा श्री चंद्रशेखर सिंह कनिष्ठ यंत्री म०प्र0म0क्षे0वि0वि0 कंपनी लिमिटेड गोहद ग्रामीण, जिला भिण्ड (म०प्र0)

----परिवादी / परिवादी कंपनी

11 वि क्त द्ध।।

मथुरी प्रसाद पुत्र छोटेलाल शर्मा, निवासी ग्राम चन्दहरा थाना गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)

––––अभियुक्त

परिवादी की ओर से — श्री ए०के० श्रीवास्तव अधिवक्ता। अभियुक्त की ओर से — श्री के०सी० उपाध्याय अधिवक्ता।

<u>//निर्णय//</u>

(आज दिनांक 17/04/18 को घोषित)

- 01. परिवादी पक्ष के द्वारा, अभियुक्त मथुरी प्रसाद के नाम से प्रदत्त विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72—09—7353 पर विद्युत बिल की राशि 43201/— रूपये बकाया होने से उक्त कनेक्शन को दिनांक 18.05.2012 को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था, किन्तु चैकिंग के दौरान दिनांक 28.05.12 को 01:00 बजे, ग्राम चन्दहरा थाना गोहद में अभियुक्त विद्युत लाईन पर दो सफेद रंग के तार जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते हुए पाया गया। इस संबंध में अभियुक्त पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138(1)ख का आरोप लगाया गया है।
- 02. प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत / निर्विवादित तथ्य नहीं है।

- प्रस्तुत परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी, म०प्र०म०क्षे० विद्युत वितरण कम्पनी 03. लिमिटेड गोहद ग्रामीण, जिला भिण्ड में कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ होकर परिवाद प्रस्तुत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। परिवादी कम्पनी के द्वारा उपभोक्ता/अभियुक्त मथुरी प्रसाद को विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-09-7353 दिया गया था। उक्त कनेक्शन पर बिल की राशि 43,201/- रूपए बकाया होने से और अभियुक्त द्वारा बिल जमा न करने के कारण उसे दिनांक 02.05.2012 को धारा 56 विद्युत अधिनियम का नोटिस प्र0पी0–1 भेजा गया था। तत्पश्चात् बकाया बिल की राशि अभियुक्त द्वारा जमा नहीं किये जाने के कारण दिनांक 18.05.12 को परिवादी कंपनी की ओर से उक्त कनेक्शन को अस्थाई रूप से विधिवत विच्छेदित कर दिया गया था और प्र0पी0-2 का नोटिस देकर विद्युत का उपयोग न करने एवं सात दिवस के अंदर बकाया राशि जमा करने का निर्देश कनेक्शनधारी मथुरी प्रसाद को दिया गया था। तत्पश्चात दिनांक 28.05.2012 को 01:00 बजे, ग्राम चंदहरा थाना गोहद में जांच अधिकारी परिवादी चंद्रशेखर सिंह जे.ई., सुरेश तोमर व मनीष शर्मा लाईन हेल्पर के साथ उक्त विधुत कनेक्शन को निरीक्षण करने पहुँचे तो पाया कि उपभोक्ता / अभियुक्त मथुरीप्रसाद के द्वारा परिवादी कंपनी की विद्युत लाईन पर अनाधिकृत रूप से दो सफेद रंग के तार जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते पाये जाने पर मौके पर उपस्थित अभियुक्त के समक्ष उक्त संबंध में पंचनामा प्र0पी0-3 तैयार किया गया, जिस पर अभियुक्त सहित साथी कर्मचारीगण के हस्ताक्षर कराए गए। तत्पश्चात् परिवादी पक्ष की ओर से परिवाद पत्र धारा 138(1)(ख) विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत अभियुक्त के विरूद्ध इस न्यायालय में पेश किया गया।
- 04. परिवाद प्रस्तुत करने पर अभियुक्त के द्वारा प्रथम दृष्टया भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138(1)ख के अंतर्गत अपराध घटित करना पाये जाने से उसके विरूद्ध आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध घटित करना अस्वीकार करते हुए विचारण चाहे जाने पर परिवादी कंपनी की ओर से परिवाद के समर्थन में मात्र परिवादी / साक्षी चंद्रशेखर प0सा0–1 का परीक्षण कराया गया। तदोपरांत दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने झूंटा फंसाया जाना प्रकट करते हुये बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते है :

01. क्या अभियुक्त मथुरीप्रसाद के द्वारा दिनांक 28.05.12 को करीब 01:00 बजे, ग्राम चंदहरा थाना गोहद में उसके नाम से प्रदत्त विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-09-7353, जो कि पूर्व में अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया था, को अनाधिकृत रूप से पुनः एल. टी. लाइन से सीधे तार डालकर विद्युत का उपयोग किया जा रहा था ?

02. दण्डादेश यदि कोई हो ?

//साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष//

- 06. जहाँ तक उक्त विचारणीय प्रश्न का संबंध है, अभिलेखगत साक्ष्य सहित प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का गहन परिशीलन तथा मूल्यांकन करने पर पाया जाता है कि परिवादी चंद्रशेखर प०सा०—1 का अपने मुख्य परीक्षण में कहना है कि वह दिनांक 02.05.12 को म०प्र०म०क्षे०वि० वितरण कंपनी गोहद ग्रामीण में किनष्ट यंत्री के पद पर पदस्थ था। उपभोक्ता मथुरीप्रसाद पुत्र छोटेलाल को विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन कमांक 72—09—7353 प्रदान किया गया था, जिसका उक्त दिनांक को उक्त कनेक्शन पर बकाया राशि 43201/— रूपये होने पर धारा 56 का 15 दिवसीय नोटिस प्र०पी०—1 अधीनस्थ कर्मचारी सुरेश तोमर को तामील हेतु दिया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 18.05.012 को 7 दिवसीय नोटिस प्र०पी०—2 अधीनस्थ कर्मचारी सुरेश सिंह तोमर को तामील हेतु दिया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 28.05.12 को समय करीब दिन के 1 बजे सामान्य चैकिंग हेतु ग्राम चंदहरा में गया था उसके साथ अधीनस्थ कर्मचारी सुरेश तोमर व मनीष शर्मा साथ गये थे तो पाया कि मथुरी प्रसाद पुत्र छोटेलाल के द्वारा कटे हुये कनेक्शन को अवैध रूप से चालू पाया था, जिसका मौके पर पंचनामा प्र०पी०—3 बनाया था। मौके पर मथुरीप्रसाद उपस्थित था जिसने भी हस्ताक्षर किये थे।
- 07. इस प्रकार मामले में स्वयं परिवादी चंद्रशेखर प०सा०—1 ने अपने न्यायालयीन कथनों में सिर्फ अपने अधीनस्थ कर्मचारी सुरेश तोमर को दिनांक 02.05.12 को प्र0पी0—1 का नोटिस एवं दिनांक 18.05.12 को प्र0पी0—2 का नोटिस अभियुक्त मथुरी प्रसाद पर तामीली हेतु दिया जाना बताया है, लेकिन इस साक्षी का अपने न्यायालयीन कथनों में ऐसा कदापि कहना नहीं है कि उक्त प्र0पी0—1 व 2 के नोटिस अधीनस्थ कर्मचारी सुरेश तोमर लाईन हेल्पर द्वारा अभियुक्त मथुरी प्रसाद पर तामील करा दिये गये थे और उक्त संबंध में विधि द्वारा अपेक्षित तामीली साबित करने के लिये परिवादी पक्ष की ओर से कथित कर्मचारी सुरेश तोमर लाईन हेल्पर को भी परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः अभिलेख पर उपरोक्तानुसार प्रस्तुत साक्ष्य से मामले में युक्ति युक्त संबंध में अभिलेख पर मूल साक्ष्य का प्राणि0—1 व 2 की तामीली साबित नहीं होती है, क्योंकि उक्त संबंध में अभिलेख पर मूल साक्ष्य का

अभाव है।

- 08. मामले में परिवादी किनष्ठ यंत्री चंदेशेखर प०सा०—1 का अपने न्यायालयीन कथनों में मात्र प्र0पी0—1 व 2 का नोटिस अभियुक्त पर तामीली हेतु अपने अधीनस्थ कर्मचारी सुरेश तोमर को दिया जाना भर बताया है, लेकिन इस संबंध में कुछ भी प्रकट नहीं किया गया है कि निरीक्षण दिनांक 28.05.12 से पूर्व अभियुक्त मथुरी प्रसाद के प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन को अस्थाई रूप से विच्छेदित करा दिया गया था, बिल्क प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि वह स्वयं कनेक्शन काटने नहीं गया था और उक्त महत्वपूर्ण साक्षी का ऐसा भी कहना नहीं है कि उसने अपने किसी अधीनस्थ कर्मचारी के माध्यम से परिवादी पक्ष के मामले के अनुसार दिनांक 18.05.12 को प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन को अस्थाई रूप से विच्छेदित करा दिया गया था। ऐसी स्थिति में परिवादी किनष्ट यंत्री चंद्रशेखर प०सा०—1 के इन कथनों के आधार पर कि दिनांक 28.05.12 को किये गये निरीक्षण के समय प्रश्नगत कनेक्शन को उन्होंने चालू हालत में पाया था, संदेह से परे यह साबित नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त मथुरी प्रसाद द्वारा अनाधिकृत रूप से कटे हुये कनेक्शन को जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग किया गया है, क्योंकि अभिलेख पर प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन को अस्थाई रूप से विच्छेदित किये जाने के संबंध में कोई मूल साक्ष्य ही नहीं है।
- 09. परिणामतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर परिवादी चंद्रशेखर प०सा0—1 के उक्त कथनों सिंहत उसके द्वारा संपादित प्रश्नगत कार्यवाही विश्वासप्रद स्वरूप की होना नहीं पाये जाने से विचारणीय प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध अभिलेख पर ठोस, दृढ़ एवं विश्वासजनक मूल साक्ष्य का अभाव होने से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि परिवादी पक्ष के द्वारा, अभियुक्त मथुरीप्रसाद के द्वारा दिनांक 28.05.12 को करीब 01:00 बजे, ग्राम चंदहरा थाना गोहद में उसके नाम से प्रदत्त विद्युत कनेक्शन कमांक 72—09—7353, जो कि पूर्व में अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया था, को अनाधिकृत रूप से पुनः एल.टी. लाइन से सीधे तार डालकर विद्युत का उपयोग किया जा रहा था। तद्नुसार अभियुक्त मथुरी प्रसाद को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138(1)(ख) के अपराध आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10. अभियुक्त जमानत पर है अतः उसके जमानत प्रपत्र भारमुक्त किये जाते हैं।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता) विशेष न्यायाधीश, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 (सतीश कुमार गुप्ता) विशेष न्यायाधीश, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

AND SHAPE SUNTA